रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2007/चैत्र 9, 1929
No. 344] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2007/CHAITRA 9, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

का.आ. 503(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 442 तारीख 27-01-2006 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य में दहेज-हजीरा-उरान एवं स्पर पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जनता को तारीख 01-06-2006 से 04-08-2006 तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

और पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिये अपेक्षित हैं, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे नं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
1	2	3	4	5
ठाणे	कल्याण	मोहने	44	00-41-08
			71	00-09-93
			43	00-12-60
		मानिवली	111	00-55-83
			66	00-19-15
			53	00-16-29
			52	00-05-14
			67	00-08-93
			84	00-09-74
			116	00-03-06
			44	00-28-04
			50	00-00-84
			117	00-19-36
			49	00-06-33
			54/1ए	00-04-28
			109	00-22-97
		गोडसइ	106	00-44-05
			103	00-53-22
			66	00-12-02
			104	00-08-08
			167	00-20-30
			99	00-33-72
			107	00-01-17

[फा. सं. एल-14014/12/06-जी.पी. (भाग-X)]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2007

S.O. 503(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 442, dated 27-1-2006 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transport of natural gas through Dahej-Hazira-Uran and its spur pipelines in the State of Maharashtra by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette Notifications were made available to the public from 1-6-2006 to 4-8-2006;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Central Government;

And whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the Right of User in the lands specified in the Schedule;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule, is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Taluka	Village	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (In Hect.)
1	2	3	4	5
Thane	Kalyan	Mohane	44	00-41-08
			71	00-09-93
			43	00-12-60
		Manivali	111	00-55-83
			66	00-19-15
			53	00-16-29
			52	00-05-14
			67	00-08-93
			84	00-09-74
			116	00-03-06
			44	00-28-04
			50	00-00-84
			117	00-19-36
			49	00-06-33
			54/1A	00-04-28
			109	00-22-97
		Ghotsai	106	00-44-05
			103	00-53-22
			66	00-12-02
			104	00-08-08
			167	00-20-30
			99	00-33-72
			107	00-01-17

[F. No. L-14014/12/06-G.P. (Part-X)]
S. B. MANDAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.